

Determination of Money Supply and Demand

मुद्रा प्रतिक के निर्धारक तत्व एवं मांग

मुद्रा प्राचीन काल से ही वस्तु विनिमय के माध्यम का कार्य करता आ रहा है। सामान्य लोग इसे मूल्य संवहन के लिए एवं कण-बुकाली में सामग्री स्वीकार करते हैं। मुद्रा की प्रतिक का कार्य होता है कि किसी विशेष स्थान में (अर्थव्यवस्था में) मुद्रा की कुल मात्रा का प्रचलन कितना है। मुद्रा की प्रतिक में करेंसी, सिक्के, मांग जमा आदि शामिल किये जाते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्रतिक के निर्धारण पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है इनमें केंद्रीय बैंक एवं राष्ट्रीय नीतियाँ तथा आर्थिक क्रियाओं की स्थिति एवं उससे परिवर्तन प्रमुख हैं। एक सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की प्रतिक केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। इसे बाह्य कारण कहा जाता है। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की प्रतिक का निर्धारण देव की आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन द्वारा होता है। इसे आंतरिक कारण भी कहा जा सकता है। इन दोनों कारणों के अनुसार मुद्रा की प्रतिक के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं।

1. न्यूनतम नगद दिवर्त अनुपात — मुद्रा की प्रतिक के निर्धारक तत्वों में न्यूनतम नगद दिवर्त अनुपात केन्द्रीय बैंक के पास उसके सदस्य बैंकों को अपने पास तथा स्थायी जमा का मांगन द्वारा निर्धारित एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना होता है कि केन्द्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को उधार देने तथा विलों का कर्जाली कर देना या साख सुविधा उपलब्ध कराता है। इस निर्धारित प्रतिशत को ही न्यूनतम नगद दिवर्त अनुपात कहा जाता है। भारत में न्यूनतम नगद दिवर्त अनुपात के अतिरिक्त कानूनी कोषानुपात Statutory Liquidity Ratio को मुद्रा प्रतिक के निर्धारण के लिए अतिरिक्त उपान के रूप में अपनाया गया है। इसके अंतर्गत बैंक-सारिक बैंकों को अपनी क्रम सम्पत्ति का एक भाग तत्काल रूप में रखना आवश्यक होता है।

यदि केन्द्रीय बैंक इस न्यूनतम या कानूनी कोषानुपात में छद्म करता है तो व्यापारिक बैंकों के पास ही मुद्रा की प्रतिक कम हो जाती है। जब इस अनुपात को कम किया जाता है तो मुद्रा की प्रतिक की निर्धारित करने में न्यूनतम नगद दिवर्त अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

2. बैंक आवश्यकता में परिवर्तन — बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास निश्चित अनुपात में मार्जिन मुद्रा रखनी पड़ती है। पहली मुद्रा की प्रतिक को प्रभावित करती है। जब केन्द्रीय बैंक इस मार्जिन को बढ़ा देता है तो मुद्रा की प्रतिक उसके अनुपात में घटती है। तथा जब मार्जिन आवश्यकता में कमी करता है तो उस अनुपात में मुद्रा की प्रतिक बढ़ जाती है।

3. लोगों की नकद राशि जमा रखने की इच्छा — जब लोग अपने पास अधिक मात्रा में नकद रखना चाहते हैं तथा बैंकों में कम राशि जमा के रूप में रखते हैं तो मुद्रा की प्रतिक कम होती है। इसके विपरीत यदि लोग अपने पास कम नकद तथा बैंकों में अधिक जमा रखना चाहते हैं तो मुद्रा की प्रतिक अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है कि बैंक अधिक जमा राशि के आधार पर ही अधिक मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं।

4. उच्च-शक्ति मुद्रा — व्यवसायिक बैंकों के पास जो दिवर्त की जाता होती है तथा लोगों के पास सिक्के तथा नोटों के रूप में जो-वहन की जाता होती है इन दोनों के मांग को उच्चशक्ति मुद्रा कहा जाता है। इसी के आधार पर बैंक जमाओं का विस्तार होता है। तथा उच्चशक्ति मुद्रा का निर्माण होता है। जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। तथा मुद्रा की प्रतिक एवं उच्चशक्ति मुद्रा में सीधा संबंध है। उच्चशक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की प्रतिक बढ़ती है तथा घटने से मुद्रा की प्रतिक घटती है। इस तरह हम पाते हैं कि मुद्रा की प्रतिक उच्चशक्ति मुद्रा का प्रभाव पड़ता है।

5. मुद्रा के चलन को का मुद्रा की प्रतिक पर प्रभाव — एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कार्यव्यवस्था में शुद्ध शक्ति के निर्धारण में जिन लोगों का प्रभाव पड़ता है उसमें वैयक्तिक बल एवं उनकी नीतियों तथा कार्यात्मक क्रियाओं में स्थिति एवं उसमें परिवर्तन प्रमुख हैं।

मुद्रा की मांग से काश्च मुद्रा की वह मात्रा है जिसे लोग तख्त या गण्ड के रूप में रखना चाहते हैं Demand for money means demand of money for keeping in cash

कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग को स्पष्ट रूप से आप्र और हिस्सा माना है जिससे लोग नफ़्ते में खपने के लिए करते हैं $M = KY$ जिसमें $M =$ मुद्रा की मात्रा $K =$ हिस्सा $Y =$ आप्र है इस सूत्र के अर्थशास्त्रियों ने निश्चित रूप से इस बात पर बल दिया है कि मुद्रा की मांग सिर्फ आप्र के स्तर पर निर्भर करता है नफ़्ते के रूप में मुद्रा को खपने से धारक को लेन-देन में सुविधा होती है तथा उसको सुरक्षा प्राप्त होती है इस संबंध में कैम्ब्रिज ने अपना विचार व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक 'जेनरल प्रिन्सिपल' 1936 में दिया है कैम्ब्रिज ने स्पष्ट रूप से तीन उद्देश्यों की पर्याप्त है जो जिसके कारण लोग मुद्रा की मांग करते हैं।

- i. लेन-देन उद्देश्य — लोगों को आप एक निश्चित संग्रह पर मिलती हैं लेकिन उन्हें आप प्राप्ति-
 पि करना पड़ता है इसलिए आप प्राप्ति एवं आप के बीच अंतराल को पायने के लिए लोग अपनी
 आप का कुछ हिस्सा भण्ड रूप में रखना चाहते हैं।
- ii. सुरक्षा उद्देश्य — आवेदन अनिश्चित एवं जोखिमों से भरा होता है लोग गमेष्ण की अनिश्चित-
 गकों से बचने एवं सुरक्षा के उद्देश्य से अपनी आप का एक हिस्सा भण्ड रूप में रखना चाहते हैं।
 बीमारी, दुर्घटना, बेकारी इत्यादि से सुरक्षा के लिए जो मुद्दा की मांग करते हैं उसे सुरक्षा उद्देश्य
 से प्रेरित मुद्दा की मांग कहा जाता है। सुरक्षा उद्देश्य से ही गरीबी मुद्दा की मांग भी आप प्राप्ति घटी है।
- iii. सहेबाजी उद्देश्य — बहुत से लोग अपने साधनों मुद्दा से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। सहेबाजी
 उद्देश्य से ही गरीबी मुद्दा की मांग का उद्देश्य बाजार की प्रवृत्तियों से अधिक लाभ उठाना है। गरीबी
 में बाजार में सबसे अधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए सहेबाजी उद्देश्य से प्रेरित मुद्दा की मांग भी
 जाती है इस सम्बंध में केन्स का कहना है कि "जब आज भी अधिक होती है। तब सहेबाजी
 उद्देश्य से ही गरीबी मुद्दा की मांग कम होती है लेकिन व्याज का कम चलने पर इस उद्देश्य से ही गरीबी
 मुद्दा की मांग अधिक होती है लोग अपनी मुद्दा को अधिक लाभ वाले क्षेत्र में लगाना चाहते हैं जहाँ
 अधिक लाभ की संभावना दिखती है। इस तरह सहेबाजी उद्देश्य से ही गरीबी मुद्दा की मांग
 व्याज सापेक्ष होती है इस प्रकार इस क्रम में लोग अधिक से अधिक मुद्दा की मांग करते हैं।
 और अधिक से अधिक भण्ड मुद्दा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। कीन्स की
 जेनरल प्रोपेटी मुद्दा की मांग में सर्वोत्तम मानी जाती है।